सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 07 फाल्गुन, 1942 (श०)
26 फरवरी, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 05

(1)	स्वास्थ्य विभाग	04
(2)	आपदा प्रबंधन विभाग	01
	कुल योग --	05

संकल्प निर्गत कराना

15. श्री भरत बिन्द--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 में निदेशक प्रमुख, नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाएँ की अध्यक्षता में गठित टेक्निकल कोर समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये बाह्य रोगी कक्ष हेतु 55 प्रकार की औषधियाँ तथा अंतवांसी रोगी कक्ष हेतु 59 प्रकार की औषधियाँ एवं 29 Medical Device/ Consumable रखने की व्यवस्था हेतु अनुशंसा की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 में टेक्निकल कोर कमिटी की अनुशंसा का स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकल्प निर्गत नहीं की गई है जिससे संशोधित औषधियाँ 533(CHS) 534(APHC) को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अबतक स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकल्प निर्गत नहीं कराने का औचित्य क्या है ?

अनुदान देना

16. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्राकृतिक आपदा के तहत बाढ़ के समय सर्पदंश से मृत्यु होने पर मृतक परिवार को 4 लाख रुपया सहायता देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अन्य दिनों में भी सर्पदंश से गरीब/मजदूर परिवारों में मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाढ़ अवधि के बाद भी सर्पदंश से मृत्यु को प्राकृतिक आपदा में शामिल कर मृतक परिवार को 4 लाख अनुदान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) एवं (3) सर्पदंश को प्राकृतिक आपदा/स्थानीय प्रकृति की आपदा के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है । यद्यपि बाढ़ अवधि के दौरान बाढ़ जनित कारणों से सर्पदंश के कारण हुई मृत्यु को प्राकृतिक आपदा जनित कारण मानते हुये SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मान दर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान देय है । बाढ़ अवधि के बाद सर्पदंश को प्राकृतिक आपदा जनित कारण नहीं माना गया है ।

पद स्वीकृत करना

17. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS डिग्रीधारी हेतु Junior Resident का पद स्वीकृत है लेकिन B.D.S. डिग्रीधारी हेतु J.R. का पद स्वीकृत नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि B.D.S. डिग्रीधारी हेतु J.R. का पद नहीं रहने से दन्त चिकित्सक का लाभ आम जनता नहीं ले पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में B.D.S. डिग्रीधारी हेतु J.R. का पद कबतक स्वीकृत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2) एवं (3) आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में B.D.S. से उच्चतर योग्यता M.D.S. डिग्रीधारी सीनियर रेजिडेंट (S.R.), सहायक प्राध्यापक-सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक डेंटिस्ट्री का पद स्वीकृत है, जिसके माध्यम से दन्त चिकित्सा का लाभ आमजनता को प्राप्त हो रहा है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) के अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेजिडेंट (J.R.) का पद अनिवार्य नहीं है ।

बहाली करना

18. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 1 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक "नर्सों के सहारे चल रहे 50 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर" खबर को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 1183 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर कार्यरत हैं इनमें से 207 हेल्थ सब-सेंटर, 876 ए0पी0एच0सी0 और 98 शहरी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन केन्द्रों पर बारह तरह की बीमारियों की जाँच की जानी है, परन्तु चिकित्सक, ए0एन0एम0 एवं नर्स के अभाव में लोगों को इलाज में सुविधा नहीं प्राप्त हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त सेंटरों पर चिकित्सक, ए0एन0एम0 एवं नर्सों की बहाली कर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्मार्ट हेल्थ कार्ड देना

19. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आठ वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मियों को देय चिकित्सा भत्ता बंद कर सी0जी0एच0एस0 की तर्ज पर स्मार्ट हेल्थ कार्ड दिया जायेगा, परन्तु इस योजना पर आठ वर्षों में कोई भी कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्व में लिये गये इस निर्णय को कार्यान्वित करते हुये सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को सी0जी0एच0एस0 के तर्ज पर स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 944(14), दिनांक 20 अगस्त, 2014 द्वारा बिहार सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, परन्तु इसके अन्तर्गत स्मार्ट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना नहीं थी ।

उक्त योजना ऐच्छिक है । योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता छोड़ना होगा । चिकित्सा भत्ता लेने रहने की स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।

वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों की माँग के आलोक में उक्त योजना में विकल्प के आधार पर शामिल सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को योजना से बाहर निकलने एवं पूर्व की तरह चिकित्सा भत्ता पुनः प्राप्त करने का प्रावधान भी संकल्प संख्या 398(14), दिनांक 9 मार्च, 2018 द्वारा किया जा चुका है ।

पटना :
दिनांक 26 फरवरी, 2021 (ई0) ।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0पु0, 105(एल0ए0), 2020-21-डी0टी0पी0-550